FORM No. III

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/621

मिसल नम्बर– 78/2023

रघुवीर सिंह आत्मज श्री रूप सिंह जाति राजपूत निवासी इदगाह के पीछे पार्क के पास किशोरपुरा कोटा प्रार्थी।

बनाम

1.महावीर सिंह यदुवंशी आत्मज रघुवीर सिंह निवासी पोस्ट टीडी वाया परसाद, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

2.मुकेश सिंह यदुवंशी आत्मज रघुवीर सिंह निवासी इदगाह के पीछे, पार्क के पास किशोरपुरा कोटा अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थितिः–

1.श्री एम0एम0 केसरी अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री बृजराज कुमार मंत्री अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1

3.श्री योगेन्द्र मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 2

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक स्वअर्जित मकान वाके ईदगाह के पीछे पार्क के पास किशोरपुरा कोटा राज0 में स्थित है। उक्त मकान प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से बनाया थात था उक्त मकान का प्रार्थी ही एकमात्र तन्हा मालिक एवं काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी के उक्त मकान में प्रार्थी का छोटा पुत्र अप्रार्थी कम 2 निवास करता है तथा अप्रार्थी क्रम 1 भी प्रार्थी का पुत्र है जो कि जिला उदरपुर राज0 में निवास करता है।अप्रार्थी कम 2 प्रार्थी व उसकी पत्नी की कोई सेवा सुश्रुषा नही करता है प्रार्थी व उसकी पत्नी की बीमारी अवस्था में भी कोई देखभाल आदि नही करता है, प्रार्थी व उसकी पत्नी का इलाज नही करवाता है, इस प्रकार प्रार्थी व उसकी पत्निी अप्रार्थी कम 2 के कृत्यों से काफी दुखी है। अप्रार्थी कम 1 भी आये दिन कोटा आता है एवं अप्रार्थी क्रम 2 से मिलकर प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ लड़ाई झगड़ा करता है एवं अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी से कहता है कि यह मकान बेचकर मुझे अपना हिस्सा दो, इस पर प्रार्थी द्वारा यह कहने पर कि यह मेरा स्वअर्जित मकान है, मै किसी को कोई हिस्सा नही देना चाहता, इस पर अप्रार्थीगण मिलकर प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ लड़ाई झगड़ा करते है, प्रार्थी व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी को

FORM No. III

उसकी पत्नि की मानसिक व शारिरीक रूप से प्रताड़ित करते है। अप्रार्थी कम 1 भी प्रार्थी व उसकी पत्नि की कोई सेवा सुश्रुषा नही करता है जो कि अपनी पत्नी के साथ जिला उदयपुर में निवास करता है मात्र मकान का हिस्सा लेने कोटा आता है एवं प्रार्थी व उसकी पत्नि को मानसिक व शारिरीक रूप से प्रताडित करता है, अप्रार्थी कम 1 के उक्त कृत्य मे अप्रार्थी कम 2 का पूर्ण साथ एवं सहयोग करता है। दोनो अप्रार्थीगण मिलकर प्रार्थी के उक्त मकान को बेचान करवाकर राशि हड़प कर जाना चाहते है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के कृत्यो से काफी दुखी एवं आहत है प्रार्थी अप्रार्थीगण को अपने मकान में से कोई हिस्सा नही देना चाहता है एवं अप्रार्थी कम 2 को भी मकान में नही रखना चाहता है एवं अप्रार्थी कम 2 को मकान से बेदखल करना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 2 को मकान से बेदखल करने का प्रयास किया लेकिन अप्रार्थी कम 2 ने प्रार्थी के मकान को खाली करने से इंकार कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी कम 2 को प्रार्थी के मकान वाके ईदगाह के पीछे, पार्क के पास किशोरपुरा कोटा से बेदखल किया जावे तथा अप्रार्थी कम 1 को पाबंद किया जावे कि वह कोटा आकर प्रार्थी के मकान बाबत किसी प्रकार का विवाद ना करे, प्रार्थी को मकान में शांतिपूर्वकरूप से निवास करने दे, लड़ाई झगड़ा ना करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति होना अस्वीकार है। यह मकान प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक कृषि आराजी को बेचान कर उससे प्राप्त होने वाली आय से क्रय किया गया था। क्रय करने के उपरांत अप्रार्थी क्रम–1 भी इस मकान में निवास कर रहा है तथा अप्रार्थी क्रम–1 ने अपनी आय से मकान के निर्माण कार्य में योगदान दिया। इस मकान में ग्राउण्ड फ्लोर में 8 कमरे, लेट–बाथ, किचन तथा फर्स्ट फ्लोर पर 9 कमरे लेट बाथ किचन तथा एक दुकान का निर्माण कराया गया जिसमें प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय लगाई। इस प्रकार यह मकान संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति है। इस मकान बाबत् विभाजन का दावा पूर्व में दिनांक 20.07.2022 को प्रस्तुत किया जा चुका है जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 के यहां विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी भी पक्षकार है। इस प्रकार विवादित सम्पत्ति बाबत् पूर्व वाद विचाराधीन रहते हुये उसी सम्पत्ति बाबत् दूसरा वाद प्रस्तुत करने से प्रार्थी एस्टोप्ड है तथा धारा–11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र चलने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान में अप्रार्थी क्रम–2 निवास करता है साथ ही अप्रार्थी क्रम–1 भी इस मकान में आता–जाता रहता है तथा अप्रार्थी क्रम–1 का इस मकान के तीन कमरों पर ताला लगा हुआ है। व्यवसाय के सिलसिले में अप्रार्थी कम 1 ग्राम टीडी फला गोरदा में निवास कर रहा है अप्रार्थी क्रम–2 प्रार्थी के साथ निवास कर रहा है। अप्रार्थी क्रम–1 प्रार्थी व उसकी पत्नी हमेशा से सेवा–सुश्रुषा करता चला आ रहा है। किन्तु रजत सिंह व योगेन्द्र सिंह जो प्रार्थी के दोहिते हैं जो कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर प्रार्थी को अपना पिता बता कर सम्पत्ति हड़प करना चाहते है और उसी दबाव में प्रार्थी से यह प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कराया है तथा इस मकान के किराये से प्राप्त होने वाली आय एवं जमीन व अन्य जगह से प्राप्त होने वाली आय को भी रजत सिंह प्रार्थी व उसकी पत्नी से जबरन प्राप्त कर रहा है। प्रार्थी ने उक्त मकान रजत सिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
को

एवं योगेन्द्र सिंह से खाली कराने बाबत् राजीनामा भी दिनांक 15.06.2022 को आलेखित किया था। इसके बावजूद भी रजत सिंह व योगेन्द्र सिंह ने मकान खाली नहीं किया और यह मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत करवा दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम–1 उक्त मकान की देखरेख बाबत् पत्नी सहित कोटा आता है किन्तु मकान में आते से ही योगेन्द्र सिंह व रजत सिंह प्रार्थी को उकसा कर अप्रार्थी व उसकी पत्नी से लड़ाई–झगड़ा करते हैं जिस. बाबत् भी अप्रार्थी क्रम–1 ने शिकायत प्रार्थना पत्र भी थाना किशोरपुरा कोटा में दिया था। अप्रार्थी क्रम–1 जब भी कोटा आता है अपने माता–पिता की सेवा–सुश्रुषा करता है किन्तु प्रार्थी एवं उसकी पत्नी रजत सिंह एवं योगेन्द्र सिंह के दबाव में आकर अप्रार्थी कम 1 व उसकी पत्नी के साथ लड़ाई–झगड़ा एवं गाली–गलौच करते हैं तथा अभद्र व्यवहार करते हैं। इस बाबत एफ0आई0आर0 नं0 27/24 किशोरपुरा थाने में दर्ज है। अप्रार्थी कम 1 में उक्त मकान में अपना हिस्सा निहित है जिसे प्राप्त करने हेतु न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 कोटा में विभाजन का वाद जेरकार है। सक्षम सिविल न्यायालय में उक्त सम्पत्ति बाबत् वाद विचाराधीन रहते हुये माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। जिस सम्पत्ति बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसके संबंध में विभाजन का वाद अपर जिला न्यायाधीश कम–3 कोटा में विचाराधीन है जो वाद 20.07.2022 को अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत कर दिया था। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 भी पक्षकार है। इसलिए उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुये माननीय न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। विवादित सम्पत्ति बाबत् दो जगह वाद नही चल सकता इस कारण धारा 11 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थी माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से एस्टोप्ड है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड्स से नहीं आया है तथा उक्त तथ्य छिपा कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित मकान ईदगाह के पीछे पार्क के पास, किशोरपुरा कोटा में होना स्वीकार है, किन्तु मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति होना अस्वीकार है। यह मकान प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक कृषि आराजी को बैचान कर उससे प्राप्त होने वाली आय से क्रयकिया गया था, क्रय करने के उपरान्त अप्रार्थी क्रम–2 भी इस मकान में निवास कर रहा है तथा अप्रार्थी क्रम–2 ही मकान में स्थित किराने की दुकान भी अप्रार्थी संख्या–2 ही चलाता है, जिससे अप्रार्थी क्रम–2 ने अपनी आय से मकान के निर्माण कार्य में काफी पैसा लगाया है, इस मकान में ग्राउण्ड फ्लोर में 8 कमरे, लेट–बाथ, किचन तथा फस्ट फ्लोर पर 9 कमरे लेट–बाथ, किचन तथा एक दुकान का निर्माण कराया गया, जिसमें अप्रार्थी क्रम–2 ने अपनी स्वअर्जित से आय अर्जित करके योगदान किया है और उनके निर्माण में अप्रार्थी संख्या–2 ने काफी पैसा दिया है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या–2 के पास ही प्रार्थी निवास करते है तथा अप्रार्थी संरख्या–2 ही प्रार्थी की हर प्रकार से सेवा सुश्रषा, भरण–पोषण, हारी–बीमारी में दवा आदि लाकर देता है, प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अपप्रार्थी संख्या–2 को परेशान करने के आशय से झूंठे रूप से अप्रार्थी संख्या–2 का नाम दर्ज करवाया है। यहां

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

यह लिखना भी आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या– 2 के भांजे प्रार्थी के साथ निवास करते है, जो कि बदनियती आ जाने के कारण मकान को हडप करना चाहते है और इसी उद्देश्य से आये दिन प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–2 के खिलाफ उल्टी सीधी बाते कहकर व भड़काते रहते है। और इसी कारण से प्रार्थी द्वारा यह कार्यवाही अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या–2 अपनी पत्नी व बच्चो सहित उक्त मकान में निवास करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की समस्त प्रकार का भरण–पोषण, ऐर –सबेर आदि अप्रार्थी संख्या–2 स्वयं ही करता चला आ रहा है, अप्रार्थी संख्या– 2 ने उक्त मकान के निर्माण में अपनी स्वअर्जित आय लगाई है और अप्रार्थी संख्या–2 का उक्त मकान में कमरे व दुकाने बनाने में काफी सहयोग रहा है, और अप्रार्थी संख्या– 2 ही समस्त रिश्तेदारी व प्रार्थी आदि को आज तक निभाता चला आ रहा है, केवल मात्र उक्त मकान में अप्रार्थी संख्या–2 के भांजे निवास करते आ रहे है, उनके मन में बदनियती आ जाने के कारण उक्त मकान को हडप करने व अप्रार्थी संख्या–2 को मकान से बेदखल कर मकान से निकालने के षडयन्त्र के तहत प्रार्थी को भड़काकर यह झूंठी कार्यवाही पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या–2 ही आय अर्जित करके प्रार्थी व उसकी पत्नी का भरण–पोषण करता चला आ रहा है और उनकी हर प्रकार से देखरेख, ऐर सबेर, आदि करता है तथा हारी–बीमारी होने पर समय–समय पर दवा आदि लाकर देता है, फिर भी प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त मकान को अप्रार्थीगण बैचान नही करना चाहते है, बल्कि अप्रार्थी संख्या–2 इसी मकान में निवास करके दुकान का संचालन करके आजीविका कमाता चला आ रहा है। उक्त सम्पत्ति मकान प्रार्थी की स्वअर्जित आय से निर्मित सम्पत्ति नही है, बल्कि उक्त सम्पत्ति मकान में अप्रार्थी संख्या–2 का पूरा योगदान है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने जो भी आय अर्जित की है, वह सभी आय उक्त मकान के निर्माण में लगा दी है, अब प्रार्थी बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या–2 को उक्त मकान से निकालने पर आमदा है, जिसका प्रार्थी को कोई भी अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी संख्या–2 के पास अपने व अपने परिवार के सदस्यो के लिए उक्त मकान के अलावा रहने के लिए अन्य कोई स्थान या मकान नही है तथा उक्त सम्पति मकान में अप्रार्थी संख्या–2 का निर्मित करवाने में पूरा–पूरा सहयोग रहा है तथा अप्रार्थी संख्या–2 ने जो भी आय अर्जित की है, वह सारी आय इसी मकान के निर्माण आदि में लगा दिया है, अब प्रार्थी बहकावे में आकर ऐनकेन प्रकारेण अप्रार्थी संख्या–2 को मकान से निकालने पर आमदा है। जिस सम्पत्ति बाबत प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत किया है, उसके सम्बंध में विभाजन का वाद अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 कोटा में विचाराधीन है, जो वाद दिनाक–20–07–2022 को अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–2 भी पक्षकार है, इसलिए उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुऐ माननीय न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। विवादित सम्पत्ति बाबत दो जगह वाद नही चल सकता इस कारण धारा–11 सीपीसी के तहत प्रार्थी माननीय न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से एस्टोस्ड है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
को.

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। दौरानें बहस प्राथीपक्ष एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से बहस नही की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं0 2 को वर्णित मकान इदगाह के पीछे पार्क के पास किशोरपुरा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से कथन किया है कि अप्रार्थी क्रम–1 ने अपनी आय से मकान के निर्माण कार्य में योगदान दिया। इस मकान में ग्राउण्ड फ्लोर में 8 कमरे, लेट–बाथ, किचन तथा फर्स्ट फ्लोर पर 9 कमरे लेट बाथ किचन तथा एक दुकान का निर्माण कराया गया। इस प्रकार यह मकान संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति है। इस मकान बाबत् विभाजन का दावा पूर्व में दिनांक 20.07.2022 को प्रस्तुत किया जा चुका है जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 के यहां विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी भी पक्षकार है। इस प्रकार विवादित सम्पत्ति बाबत् पूर्व वाद विचाराधीन रहते हुये उसी सम्पत्ति बाबत् दूसरा वाद प्रस्तुत करने से प्रार्थी एस्टोप्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान के विभाजन संबंधी वाद माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम 3 में जैरकार है। विवादित मकान में हक हिस्से का निर्धारण न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम 3 में जैरकार वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव हो सकेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष दिया जाना उचित नही पाते है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को